



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2638]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 9, 2015/अग्रहायण 18, 1937

No. 2638]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 9, 2015/AGRAHAYANA 18, 1937

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3324(अ).—केन्द्रीय सरकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के दिनांक 17 जनवरी, 2012 के का.आ. 79(अ) और दिनांक 2 जुलाई, 2012 के का.आ. 1505(अ) की अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने के लिए प्रतिबद्ध बातों को छोड़कर, एतद्वारा मंत्रालय में खादी और ग्रामोद्योग आयोग से संबंधित कार्य करने वाले संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के एकीकृत वित्त स्कंध के आर्थिक सलाहकार को आयोग की बैठकों और उनकी चर्चाओं में भाग लेने के लिए नामनिर्देशित करती है।

परन्तु नामनिर्देशित अधिकारियों को मताधिकार नहीं होगा।

[फा. सं. ए-43013/6/2015-केवीआई-पी]

बी. एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2015

S.O. 3324(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises numbers S.O. 79(E), dated the 17th January, 2012 and S.O. 1505(E), dated the 2nd July, 2012, except as respects things done or committed to be done before such supersession, the Central Government hereby nominates the Joint Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, handing the work relating to Khadi and Village Industries Commission in the Ministry and the Economic Advisor of Integrated Finance Wing of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, to attend the meetings of the Commission and to take part in the discussions thereof :

Provided that nominated officers shall not have the right to vote.

[F. No. A-43013/6/2015-KVI-P]

B. H. ANIL KUMAR, Jt. Secy.

5147 GI/2015